

प्रेषक,

श्री एस0 आर0 लाखा,
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनांक-28 नवम्बर, 2000

विषय : नगरीय निर्धनतम आश्रयहीनों के लिए "आश्रय कोष" के अन्तर्गत ई.डब्लू.एस.आवासों/
दुकानों का निर्माण/सुधार योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी निर्धनतम आश्रयहीन परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अन्तर्गत समय-समय पर दुर्बल आय वर्ग के आवासों का निर्माण/सुधार कराया गया है। इसी क्रम में केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार आवासीय योजना के सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए शहरी मलिन बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे आश्रयहीन परिवारों को आवासीय/व्यावसायिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सूडा मुख्यालय पर "आश्रय कोष" योजना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 'आश्रय कोष' योजना के संचालन/क्रियान्वयन के लिए निम्न शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्ताव तैयार कराये जायें :-

- (1) यह योजना गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के लिए प्रदेश के समस्त नगरीय मलिन बस्तियों में समान रूप से लागू होगी। अर्थात् वह नगर जो वर्तमान में राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना से आच्छादित भी नहीं है, में भी "आश्रय कोष योजना" लागू होगी।
- (2) प्रत्येक डूडा स्तर पर "आश्रय कोष" के संचालन हेतु एक फूक खाता खोला जायेगा, जिसका संचालन अन्य योजनाओं के लिए निहित प्रविधान के तहत अर्थात् परियोजना निदेशक, डूडा/अध्यक्ष, डूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
- (3) आश्रय कोष के अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले दुर्बल आय वर्ग के आवासों/दुकानों के निर्माण/सुधार में वित्त पोषण निम्नानुसार होगा :-

(क)	आश्रय कोष से ऋण	रुपया 12,500.00
(ख)	एन.एस.डी.पी. से	रुपया 7,500.00
	(अवस्थापना सुविधा हेतु) ई.डब्लू.एस. हेतु आरक्षित धनराशि से)	
(ग)	लाभार्थी का अंशदान/श्रमोंश	रुपया 5,000.00

रुपया 25,000.00

- (4) अवस्थापना सुविधा हेतु राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि रुपये 7500.00 प्रति यूनिट की दर से सूडा मुख्यालय पर राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आश्रय सुधार हेतु आरक्षित (कम से कम 10% की राशि) धनराशि को नियमानुसार संबंधित डूडा कार्यालय को अवमुक्त किया जायेगा।
- (5) दुकानों का आवंटन, शहरी शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार परक बनाने को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।
- (6) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा की अध्यक्षता में "आश्रय कोष" योजना की पृथक से समीक्षा/क्रियान्वयन कराया जायेगा।
- (7) योजनान्तर्गत प्रत्येक आवास/दुकान हेतु निर्धारित रुपये 25,000.00 की धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/मानकों को आधार मानते हुए ही निर्माण/सुधार कराया जायेगा।
- (8) योजनान्तर्गत नियमानुसार प्रोजेक्ट तैयार कर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से सूडा को उपलब्ध कराया जायेगा तथा सूडा द्वारा प्रोजेक्ट का नियमानुसार परीक्षण कर शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- (9) नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नजूल भूमि की निःशुल्क भूमि की उपलब्धता अथवा लाभार्थी की वह भूमि जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व हो (अर्थात् वह भूमि जिस पर वह पिछले 10 वर्ष से काबिज है एवं नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एण्ड कौन्सिल के ऐससमेन्ट रजिस्टर में ऐससमेन्ट उनके नाम है), पर ही दुर्बल आय वर्ग के आवासों/दुकानों का निर्माण/सुधार कराया जायेगा।
- (10) यदि नगर निगम/विकास प्राधिकरण/नजूल की भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है और वहां पर आश्रय कोष के अन्तर्गत आवासों/दुकानों का (समूह में) निर्माण/सुधार किया जाता है, तो उक्त कालोनी में नेडा के सहयोग से डाइजेस्टर लगाया जायेगा एवं उससे उत्पन्न बायोगैस से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जायेगा। ऐसे स्थल पर कम से कम छः दुकानों का निर्माण कराया जायेगा जो आवास हेतु निर्धारित भूमि के क्षेत्रफल एवं निहित धनराशि के बराबर होंगे।
- (11) बिखरे हुए आवासों में (जो क्लस्टर में नहीं है) शौचालय की व्यवस्था शासनादेश संख्या-2356/69-1-2000-6(एल)/97 टी.सी. दिनांक 04 जुलाई, 2000 से डबटेल करते हुए करायी जायेगी।
- (12) लाभार्थियों का चयन सामुदायिक विकास समिति की खुली बैठक में किया जायेगा।
- (13) ऐसे परिवारों को योजनान्तर्गत वरीयता प्रदान की जायेगी जिन्होंने चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित परिवार कल्याण योजना के तहत अपने परिवार को नियोजित कर रखा है।
- (14) योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या निश्चित रूप से 50% होगी।
- (15) योजनान्तर्गत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।
- (16) आवास/दुकान का निर्माण/सुधार कार्य किसी भी एजेन्सी/ठेकेदार से न कराकर लाभार्थी द्वारा अपनी देख-रेख में स्वयं कराया जायेगा।
- (17) आश्रय कोष के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को देय धनराशि 02 समान दिशतों में रेगुलरिज्ड चेक (एकाउन्टस पेई चेक) के माध्यम से दी जायेगी। जब तक लाभार्थी को ऋण राशि तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता तब तक उक्त भूमि/आवास डूडा के बन्धक के रूप में रहेगा।
- (18) उक्त आवासीय योजना से लाभान्वित होने वाले परिवार के अति-पत्नी का रुपये 25,000.00 का दुर्घटना बीमा कराया जायेगा, जिसमें पति अथवा पत्नी की मृत्यु पर देय बीमा का प्रीमियम का एक मुश्त भुगतान ऋण की देय धनराशि के रूप में काट ली जायेगी।
- (19) आश्रय कोष के अन्तर्गत निर्धारित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये आवास/दुकान का एक पृथक डिजाइन होगा जो

सूडा द्वारा निर्धारित करते हुए पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

(20) देय ऋण पर 08% की दर से ब्याज लिया जायेगा एवं ऋण की वसूली रुपया 7.00 (रुपया सात मात्र) प्रतिदिन के अनुसार की जायेगी। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधा हेतु अनुमन्य राशि ब्याजमुक्त होगी।

(21) ऋण की वसूली के दो माध्यम होंगे (1) स्वयं लाभार्थी द्वारा (2) सामुदायिक विकास समिति द्वारा। जिस लाभार्थी द्वारा स्वयं ऋण की धनराशि की अदायगी नियमित रूप से डूडा अथवा डूडा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी उसे निर्धारित देय ब्याज दर से एक प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। ऐसे लाभार्थी, जिनके द्वारा विहित प्रक्रियानुसार नियमित रूप से ऋण की राशि की अदायगी स्वयं नहीं की जायेगी ऐसे लाभार्थियों से वसूली संबंधित सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से करायी जायेगी और ऐस स्थिति में ऐसे लाभार्थियों से निर्धारित 08% की दर के अतिरिक्त 01% की राशि दण्डब्याज के रूप में वसूल की जायेगी और इस दण्डब्याज को प्रोत्साहन के रूप में संबंधित सी.डी.एस. को उपलब्ध कराया जायेगा।

(22) आवास/दुकान का निर्माण/सुधार का कार्य पूर्ण होने के 06 माह के उपरान्त लाभार्थी से ऋण की वसूली की जायेगी।

(23) लाभार्थी अथवा सी.डी.एस. द्वारा ऋण अदायगी एवं ब्याज की धनराशि को डूडा स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे डूडा कार्यालय अथवा राष्ट्रीयकृत बैंको में जमा किया जायेगा। परियोजना अधिकारी का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह वसूल की गयी ऋण राशि एवं ब्याज की धनराशि का मासिक ब्योरा रखेंगे और नियमित रूप से तैयार विवरण/ब्योरा सहित योजनान्तर्गत वसूली गयी धनराशि प्रत्येक त्रैमास में सूडा को उपलब्ध करायेगे।

(24) यदि ऋण द्वारा इस योजनान्तर्गत निर्धारित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऋणी द्वारा देय, समस्त धनराशि मय ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया के भांति जिलाधिकारी द्वारा वसूल की जा सकेगी।

(25) पूर्व संचालित आश्रय सुधार योजनान्तर्गत निहित शर्तों/प्रतिबन्धों/उपबन्धों के अनुसार ही आश्रयकोष के अन्तर्गत आवास/दुकान का निर्माण/सुधार कराया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव/प्रोजेक्ट सूडा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस.आर.लाखा)
सचिव

संख्या-4262 (1)/69-1-2000-5(एस.डी.)/2000 तद् दिनांक

प्रतिालिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3090 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, 3090।
4. अवर सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उपशामन मंत्रालय, यू.पी.ए. डिवाजन, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से
(राम किरार)
अनु सचिव